NT>

Title: Regarding starvation deaths in Bihar

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य से आता हूं। पिछले दिनों मुज़फ्फरपुर जिले के सकरा थाना के फरीदपुर गांव के राशिदा खातून और मोहम्मद इलियास के तीन बच्चे 15 दिन के अंदर भूख से मर गये। यह खबर प्रिंट और इलैक्ट्रौनिक मीडिया में बड़े पैमाने पर छपी। साथ ही निजी चैनल पर इन भूख से मरने वाले बच्चों की खबर आई। मैंने खुद जाकर उस परिवार को देखा और पाया कि वे बच्चे भूख से तड़प-तड़प कर मर गये। जिला प्रशासन, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत के अन्य अधिकारियों तथा निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की जब एक आम सभा हुई तो उसमें सर्वसम्मित से तय किया गया कि गांव फरीदपुर में यह परिवार सब से ज्यादा गरीब है। इसलिये अन्नपूर्णा अन्न योजना, अंत्योदय योजना के तहत उनकी जीवन रक्षा के लिये उन्हें लाल कार्ड जारी किया जाये लेकिन आम सभा की सहमति के बाद भी इस परिवार को न अंत्योदय योजना में और न ही अन्नपूर्णा अन्न योजना या काम के बदले अनाज योजना में शामिल किया गया। जब उन भूखों से तड़पते हुये बच्चों के मरने की खबर मीडिया में आई तो बिहार सरकार ने इस खबर को दबाने के लिये मुजफ्फरपुर के एक होम्योपैथिक चिकित्सक मोहम्मद बशीर द्वारा तंत्र-मंत्र की कहानी गढ़ी और मोहम्मद इलियास को फंसाया जा रहा है। हाई कोर्ट के एक वकील के नेतृत्व में मानवाधिकार संरक्षण संगठन में वहां जाकर इस मामले की जांच की गई जिसकी जांच रिपोर्ट मेरे हाथ में है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश से कराई जाये और होम्योपैथिक चिकित्सक को हटाया जाये तथा पीड़ित लोगों को जो फंसाया जा रहा है, उन्हें बचाया जाये।